

| तारिख<br>हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>F.S.S.Act Case No.12/2023  | नम्बर व<br>तारिख<br>अहकाम जो<br>इस हुकम<br>कीतामिल में<br>जारी हुए |
|---------------|---|--|
| 31.3.2023     | <p>पत्रावली पेश हुई। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही अनुपस्थित। प्रतिवादी कपूर सिंह पुत्र श्री तार सिंह, जाति- राजपूत, निवासी- पीथापुरा, पोस्ट- सिरौडी, तहसील- रेवदर, जिला- सिरौही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म सर्वोत्तम नमकीन एण्ड स्वीट कोर्नर, मैन हाईवे रोड, पीथापुरा के पास, सिरौडी, तहसील- रेवदर, जिला- सिरौही अनुपस्थित।</p> <p>आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरुद्ध तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा (हाल निलम्बित) द्वारा दिनांक 12.1.2022 को फर्म सर्वोत्तम नमकीन एण्ड स्वीट कोर्नर, मैन हाईवे रोड, पीथापुरा के पास, सिरौडी, तहसील- रेवदर, जिला- सिरौही में प्रतिवादी कपूर सिंह से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ मैदा (त्रिशूल ब्राण्ड) का नमूना संख्या S-1582 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./170/Act/2022/152 दिनांक 27.1.2022 में मिथ्याछाप (Misbranded) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 52 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया। जिस पर प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 29.3.2023 को प्रतिवादी कपूर सिंह ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण का निस्तारण करने का अनुरोध किया। प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 31.3.2023 को प्रतिवादी कपूर सिंह उपस्थित नहीं हुआ।</p> <p>हमने पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी (हाल निलम्बित) दिनांक 12.1.2022 को समय 3.15 पी.एम. पर खाद्य पदार्थों के निरीक्षण हेतु फर्म सर्वोत्तम नमकीन स्वीट एण्ड स्वीट कोर्नर, मैन हाईवे रोड, पीथापुरा के पास, सिरौही, तहसील- रेवदर, जिला- सिरौही पर गये। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक की हैसियत से कपूर सिंह पुत्र श्री तार सिंह, जाति- राजपूत, निवासी- पीथापुरा, पोस्ट- सिरौडी, जिला- सिरौही उपस्थित मिले, जो खाद्य पदार्थ मैदा (त्रिशूल ब्राण्ड) का उपयोग नमकीन आदि बनाकर बेचने हेतु करता है। श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी (हाल निलम्बित) द्वारा निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग आने वाले खाद्य पदार्थ मैदा (त्रिशूल ब्राण्ड) के अमानक होने का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना मौके पर उपस्थित गवाह श्री विशाल सिंह, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही के समक्ष प्रपत्र 5ए में विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ता कपूर सिंह को</p> | .....लगातार  |



भा.त. जिला मजिस्ट्रेट  
सिरौही-307001



| तारिख<br>हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>F.S.S.Act Case No.12/2023  | नम्बर व<br>तारिख<br>अहकाम जो<br>इस हुक्म<br>कीतामिल में<br>जारी हुए |
|----------------|--|---|
|                | <p>भरकर दी व रसीद प्राप्त की। श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी (हाल निलम्बित) ने दुकान के गोदाम में फर्श पर मौजूद खाद्य पदार्थ मैदा (त्रिशूल ब्राण्ड) के 45 किलोग्राम के एक पैकड बैग को खोलकर उसमें से 2 किलोग्राम मैदा (त्रिशूल ब्राण्ड) को वास्ते नमूना जांच क्रय किये एवं उसकी कीमत राशि रुपये 56/- (अक्षरे रुपये छप्पन मात्र) प्रतिवादी कपूर सिंह को नकद अदा कर खरीद रसीद/बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने गवाह एवं विक्रेता को चार साफ, सूखे, खाली प्लास्टिक जार दिखाकर इन चारों जारों में खरीदशुदा मैदा (त्रिशूल ब्राण्ड) को बराबर-बराबर मात्रा में भरकर प्रत्येक जार को ढक्कन से एयरटाईट बन्द किया तथा एक नमूना जार के साथ मैदा (त्रिशूल ब्राण्ड) के मूल लेबल को लगाकर टेप से चिपकाया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही) के कोड एवं क्रमांक S-1582, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ मैदा (त्रिशूल ब्राण्ड) का नाम आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी (हाल निलम्बित) ने हस्ताक्षर किये और खाद्य पदार्थ मैदा (त्रिशूल ब्राण्ड) के चारों नमूना पैकेटों पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-1582 को नियमानुसार गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को नियमानुसार सील चपड़ी किया व प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर कराये व श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी (हाल निलम्बित) ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी (हाल निलम्बित) ने कब्जे/जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर विक्रेता, गवाह व श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी (हाल निलम्बित) के हस्ताक्षर किये हुए हैं। तत्पश्चात् श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी (हाल निलम्बित) ने कार्यालय में पहुँचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील करने के समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक-एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपड़ी किया तथा फार्म नम्बर VI की दो-दो प्रतियां दो लिफाफों में अलग-अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपड़ी किया। श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी (हाल निलम्बित) ने दिनांक 13.1.2022 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा श्री देवकिशन छंगाणी, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा</p> <p style="text-align: right;">.....लगातार</p> |   |



d  
जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी  
सिरौही-307001

| तारीख<br>हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>F.S.S.Act Case No.12/2023  | नम्बर व<br>तारिख<br>अहकाम जो<br>इस हुकम को<br>तामिलमें जारी<br>हुए |
|---------------|---|--|
|               | <p>एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही) को दिनांक 12.1.2022 को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी (हाल निलम्बित) द्वारा फर्म सर्वोत्तम नमकीन एण्ड स्वीट कोर्नर, मैन हाईवे रोड, पीथापुरा के पास, सिरौडी में प्रतिवादी कपूर सिंह से खाद्य पदार्थ मैदा (त्रिशूल ब्राण्ड) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से खाद्य पदार्थ मैदा (त्रिशूल ब्राण्ड) के नमूना संख्या S-1582 की प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./170/Act/ 2022/152 दिनांक 27.1.2022 के अनुसार खाद्य पदार्थ मैदा (त्रिशूल ब्राण्ड) का नमूना मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया। प्रकरण में, यह तथ्य भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी कपूर सिंह ने प्रकरण की अनुसंधान के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा को खाद्य पदार्थ मैदा (त्रिशूल ब्राण्ड) के क्रय का बिल प्रस्तुत नहीं किया एवं न ही इस न्यायालय में ऐसा कोई बिल प्रस्तुत किया है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादी कपूर सिंह ने मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ मैदा (त्रिशूल ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।</p> <p>अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 1(2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा- 52 के तहत मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ मैदा (त्रिशूल ब्राण्ड) के विक्रय हेतु प्रतिवादी कपूर सिंह पुत्र श्री तार सिंह, जाति- राजपूत, निवासी- पीथापुरा, पोस्ट- सिरौडी, तहसील- रेवदर, जिला- सिरौही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म सर्वोत्तम नमकीन एण्ड स्वीट कोर्नर, मैन हाईवे रोड, पीथापुरा के पास, सिरौडी, तहसील- रेवदर, जिला- सिरौही पर राशि रुपये 2,500/- (अक्षरे रुपये दो हजार पांच सौ मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादी कपूर सिंह को आदेशित किया जाता है कि उस पर आरोपित शास्ति (जुर्माना) की राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरौही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरौही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरौही के कार्यालय में 30 दिन में जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो तथा वास्ते जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 08.5.2023 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">(के.आर.खौड)<br/>प्रति. जिला मजिस्ट्रेट<br/>सिरौही-307001.</p> |  |

